प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 88/2019)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

डीपीओ द्वारा भादूविप्रा के साथ अपने एपीआई साझा करके भादूविप्रा के ऐप/पोर्टल के जरिये अपने सब्सक्राइबरों को उनके सब्सक्रिप्शन को देखने, उसमें बदलाव करने की अनुमति देना।

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2019ः भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 9 अक्टूबर 2019 को दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा की गुणवत्ता के मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणाली) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019 (2019 का 6) जारी किया।

2. भादूविप्रा ने टेलीविजन और प्रसारण क्षेत्र के लिए लागू विनियमों/आदेशों द्वारा उपभोक्ताओं को उन टेलीविजन चैनलों का चयन करने की स्वतंत्रता दी, जिन्हें वे देखना चाहते हैं। नए फ्रेमवर्क का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, भादूविप्रा ने कई प्रयास किए है जैसे वितरण प्लेटफार्म ऑपरेटरों के साथ कई बैठकें आयोजित करना, इलेक्ट्रॉनिक और समाचार मीडिया में प्रचार, ग्राहक समूहों के साथ संवाद आदि। इसके बावजूद, भादूविप्रा को उपभोक्ताओं से इस तरह की कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि वे टीवी चैनलों को डीपीओ के वेब पोर्टल/ऐप पर आसानी से चुनने में समर्थ नहीं हो रहे हैं।

3. इस मुद्दे का समाधान करने के लिए, भादूविप्रा ने 9 अगस्त 2019 को दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा की गुणवत्ता के मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणाली) विनियम, 2017 के लिए मसौदा विनियम (दूसरा संशोधन) जारी किया, जिसमें हितधारकों से 29 अगस्त 2019 तक लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की गईं।

4. परामर्श प्रक्रिया के दौरान, हितधारकों का आमतौर पर यह मत था कि उन्हें अपने एपीआई को भादूविप्रा के साथ साझा करने में कोई आपत्ति/संकोच नहीं है क्योंकि उनका डेटा नियामक के पास सुरक्षित है और इसमें उपभोक्ताओं की जानकारी के लीक होने/दुरुपयोग होने और डेटा की गोपनीयता जैसी समस्या नहीं होगी।

5. इस दूसरे संशोधन के माध्यम से, भादूविप्रा ने डीपीओ को अधिदेश दिया कि वे उपभोक्ताओं को अपने प्लेटफार्म पर उपलब्ध चैनलों/बुके का उपयोग करने की अनुमति दें और भादूविप्रा के साथ एपीआई साझा करके भादूविप्रा के पोर्टल/ऐप के माध्यम से उन्हें अपनी पसंद के चैनल और बुके (एडीशन/डिलीशन) चुनने, अपना सब्सक्रिप्शन देखने और उसमें बदलाव करने की अनुमति दें।

6. प्राधिकरण एपीआई विनिर्देशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है जिसे डीपीओ को अलग से सूचित किया जाएगा। भादूविप्रा के ऐप या पोर्टल में एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा मांगने पर डीपीओ को एपीआई के माध्यम से भादूविप्रा के साथ सूचना साझा/आदान–प्रदान करना होगा।

7. किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री अरविंद कुमार, सलाहकार (बीएंडसीएस) से टेलीफोन नंबर +91–11–23220209 द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।